

राजस्थान सरकार
आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक:- एफ1()स्था/निकाशि/86/ 220

दिनांक:- 16-5-2022


समस्त प्राचार्य,
राजकीय महाविद्यालय/कन्या महाविद्यालय/विधि महाविद्यालय,
राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट/राजस्थान संगीत संस्थान,
राजस्थान।

विषय:- सेवा व्यवधान को कण्डोन किये जाने के संबंध में।

महोदय,

सामान्यता: यह देखा गया है कि जिन प्राचार्यों/उपाचार्य/सह आचार्यों की अस्थायी सेवा में व्यवधान रहा है उनके व्यवधान प्रकरण सेवानिवृत्ति के समय या पश्चात विभाग को प्रेषित किये जाते हैं जिससे पेंशन प्रकरण के निस्तारण में विलम्ब होता है अतः समस्त प्राचार्यों, उपाचार्य तथा सह आचार्यों जिनके सेवा में व्यवधान है तथा जिस सेवा व्यवधान को पेंशन नियम 1996 के नियम 27 के अन्तर्गत मान्य किया जा सकता है ऐसे समस्त प्रकरण सम्बन्धित कार्मिक की सेवानिवृत्ति से 02 वर्ष पूर्व आवश्यक रूप से निम्न लिखित बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए भिजवाया जाना सुनिश्चित करावे:-

1. प्रकरण विभाग को भिजवाये जाने से पूर्व व्यवधान अवधि का पूर्ण विवरण मय सम्बन्धित दस्तावेज प्रेषित करे।
2. प्रकरण की सूचना प्राचार्य सत्यापित कर संलग्न प्रारूप में भेजे।


(डॉ. आर. सी. मीना)


संयुक्त निदेशक, (एच.आर.डी.)
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक:- एफ1()स्था/निकाशि/86/ 220

दिनांक:- 16-5-2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. वेब प्रभारी, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर को वेब साईट पर अपलोड करने हेतु।
2. रक्षित पत्रावली।


(डॉ. आर. सी. मीना)

संयुक्त निदेशक, (एच.आर.डी.)
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।

